



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2026**

विषय:- राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में 02 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-475/उ०प्र०सं०नि०-2(3)/2005 दिनांक 30 सितम्बर, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 06 व 07 फरवरी, 2027 को राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर एवं साखी शोधशाला, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में 02 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के जनपद गोरखपुर में आयोजन किये जाने हेतु राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा वहन किये जाने वाले अनुमानित व्यय का निम्नवत् विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है:-

क्र०	विवरण	धनराशि
1	संगोष्ठी प्रोसीडिंग्स प्रकाशन पर व्यय	40,000.00
2	स्थानीय यात्रा पर किराये की टैक्सी पर व्यय (03 दिवस हेतु)	20,000.00
3	मुख्य वक्ताओं / विशिष्ट अतिथियों हेतु शाल, स्मृति चिन्ह/ मोमेंटो पर व्यय	20,000.00
4	प्रतिभागियों एवं मुख्य वक्ताओं हेतु सेमीनार किट पर व्यय	60,000.00
5	मुख्य वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के आवास एवं भोजन व्यवस्था पर व्यय (03 दिवस हेतु)	1,00,000.00
6	बैकड्राप, स्टैण्डी, बैनर, प्रमाण-पत्र एवं आमंत्रण कार्ड आदि पर व्यय	10,000.00
7	मुख्य वक्ताओं के यात्रा पर व्यय	50,000.00
	योग (रूपये तीन लाख मात्र)	3,00,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 06 व 07 फरवरी, 2027 को राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर एवं साखी शोधशाला, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में जनपद गोरखपुर में आयोजित होने वाले 02 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु **रु० 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
 - (7) उक्त धनराशि निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यक्रम सम्पन्न न होने की स्थिति में शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान- 42- अन्य व्यय (राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर) मद से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ गोरखपुर।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।